मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए न्यायोचित आवास

U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

www.hud.gov/fairhousing पर जाएं
या नेशनल डिस्क्रिमिनेशन हॉटलाइन को
1-800-669-9777 or 1-800-877-8339 (फ़ेडरल रिले) पर कॉल करें

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

Hindi

मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए न्यायोचित आवास

न्यायोचित आवास कानून मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगताओं सहित सभी प्रकार के अपंग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। अपंगताओं पर आधारित आवासीय भेदभाव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- किसी अपंगता के कारण आपको किराये पर घर देने से इंकार करना
- ऐसी वाजिब सुविधाएंदेने से या वाजिब बदलाव करने की अनुमति देने से इंकार करना जो आपकेया आपकेसाथ रहने वाले व्यक्ति के लिए आवास का उपयोग करने हेतु या उसका आनन्द लेने हेतु समान अवसर पाने के लिए आवश्यक हों
- अपंगता के कारण आपको या आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को उपलब्ध आवास दिखाने या उसके बारे में जानकारी देने से इंकार करना
- अपंगता के कारण उपलब्ध आवास के साथ अलग नियम या शर्तें जोड़ना, जैसे अधिक किराय ा या सिक्योरिटी डिपॉज़िट मांगना, या अतिरिक्त दस्तावेज़ की मांग करना
- अपंगता के कारण आपको किन्ही विशिष्ट आवासीय इकाईयों में या आवासीय कॉम्प्लेक्स केभ ागों में रहने से प्रतिबंधित करना
- अपंगता के कारण आपको या आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल देना
- अपंगता के कारण आपको या आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को परेशान करना

आपके न्यायोचित आवासीय अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://www.hud.gov/fairhousing पर जाएं।

क्या आपके साथ आवास को लेकर भेदभाव हुआ है? शिकायत दर्ज करने के लिए https://www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint पर जाएं या एचयूडी हॉटलाइन को 1-800-669-9777 (अँग्रेज़ी/स्पेनिश) या 1-800-877-8339 (फ़ेडरल रिले) पर कॉल करें।

आपके द्वारा न्यायोचित आवासीय शिकायत किए जाने पर आपके विरुद्ध आवास प्रदाता द्वारा कार्रवाई करना गैरकानूनी है।

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY